प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रां०शिक्षा भरतपुर

क्रमांक – 974 दिनांक 28-11-12

प्रबंधक, डिल्ली पब्लिक स्कूल, (सेवर) भरतपुर

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय /महोदया,

आपके दिनांक .... के आवेदन और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै डिल्ली पब्लिक स्कूल सेवर भरतपुर (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक .... से 31-3-13 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा I से कक्षा VIII तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रुप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–09 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध–2) के उपबन्धो का पालन करेगा ।

3 विद्यालय कक्षा–1 मे, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडौस के कमजोर वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।

4 पैरा–3 निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग पकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म सीन,धर्म,जाति या प्रजाति या इनमे किसी एक उपबन्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि–

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

5. अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।

6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

8. अध्यापक स्वयं किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा। –

10 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐ निम्नानुसार है –

विद्यालय परिसर का क्षेत्र– 27799.91 Sq. M

कुल निर्मित क्षेत्र– 6787 Sq. M

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल– 21085 Sq M

कक्षा कमरों की संख्या – 42

प्रधानाध्यापक – सह कार्यालय – सह भण्डार कक्ष– 4+2 = 06

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– हाँ

पेयजल सुविधा– हाँ

मिड डे मील पकाने के लिए रसोई– 2

बाधा रहित पहुँच– हाँ

अध्यापक पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूदउपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता – हाँ

11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विद्यालय को व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शिक्षा)... भरतपुर .... को भेजी जानी चाहिए।

16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड क्रमांक 1410 है। कृपया इसके नोट कर ले और इस विद्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) ....भरतपुर.... द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19 संलग्न उपाबन्ध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा०शिक्षा भरतपुर